न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 72/2021 निर्णय दिनांकः 05.1.2022

ऑनलाईन नम्बर 2021/161

1. छैलू सिह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. भागसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
3. महावीर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ

—वादीगण—

बनाम

1. इन्द्र सिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. नारायण सिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
3. भगवानसिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
4. हनुमानसिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
5. डूंगरसिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
6. गजूसिंह पुत्र लूण सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
7. बजरंगसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
8. लक्ष्मण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—मुख्य प्रतिवादीगण—

10. पप्पु कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
11. संतोष कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
12. सुमन कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादी
2. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 8 व 10 ता 12
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

यह वाद छैलू सिह वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पैतृक खेत खसरा नम्बर 160 तादादी 10.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 तादादी 6.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 तादादी 8.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 509 तादादी 2.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 511 तादादी 4.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 तादादी 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 तादादी 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 तादादी 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 तादादी 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 तादादी 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 तादादी 9.67 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल तादादी 52.16 हैक्टेयर रोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है। यह कि पारिवारिक व्यवस्था के तहत उक्त खसरा नम्बर 161,162 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज लूणसिंह ने गजूसिंह प्रतिवादी संख्या 6 के नाम करवा दी, क्योंकि गजूसिंह के नाम विद्युत कनेक्शन की फाईल जमा करवाई हुई थी, इसलिये उक्त समस्त की भूमि गजूसिंह प्रतिवादी संख्या 6 के नाम [illegible] प्रतिवादीगण की सहमति से करवा दी गई। यह कि पारिवारिक व्यवस्था [illegible] खसरा नम्बर 159 तादादी 2.03 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 3 महावीर सिंह [illegible] खसरा नम्बर 163 तादादी 2.03 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 नारायण [illegible] के नाम तथा खसरा नम्बर 179 तादादी 2.03 प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्र सिंह के [illegible] करवा दी गई। यह कि खसरा नम्बर 190 तादादी 9.67 हैक्टेयर भूमि पारिवारिक व्यवस्था के तहत 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पूर्वी तरफ की प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] सिंह के [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] की प्रतिवादी संख्या 4 हनुमानसिंह के साथ [illegible] है। [illegible] के अपने नाम [illegible] 1/2 हिस्सा भूमि [illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] व लक्ष्मणसिंह के नाम [illegible] मौखिक विभाजन [illegible] है। मौखिक विभाजन के [illegible] हिस्से में खसरा नम्बर [illegible] की [illegible] हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर [illegible] किसी रूप से [illegible] खसरा नम्बर [illegible] तादादी 2.03 हैक्टेयर [illegible] की [illegible] हैक्टेयर [illegible] तरफ की संलग्न नक्शानुसार [illegible] प्रतिवादीगण के हिस्सा [illegible] में आई हुई है। इसी अनुसार जमीन का [illegible] विभाजन करवाकर खातेदारी [illegible] प्रतिवादीगण अधिकारी है। यह कि खसरा नम्बर [illegible] तादादी 2.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर [illegible] तादादी [illegible] हैक्टेयर खसरा नम्बर [illegible] तादादी 2.03 हैक्टेयर खसरा नम्बर 160 की तादादी [illegible] हैक्टेयर कुल तादादी [illegible] हैक्टेयर संलग्न नक्शानुसार प्रतिवादी संख्या 6 की कब्जा काश्त में है और मौखिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी 6 के हिस्सा में आई हुई है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] जमीन का विभाजन करवाकर अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। यह कि खसरा नम्बर 190 की 1/2 हिस्सा भूमि [illegible] हैक्टेयर भूमि पश्चिमी तरफ की, खसरा नम्बर 160 की 1.39 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर [illegible] की 1.28 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शानुसार मौखिक विभाजन अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 हनुमानसिंह के हिस्सा पाति में आई हुई है। जिस पर हनुमानसिंह का कब्जा काश्त है। इसी अनुसार विभाजन करवाकर हनुमानसिंह अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। यह है कि खसरा नम्बर 190 की 1/2 हिस्सा भूमि यानि 4.84 हैक्टेयर भूमि की पूर्वी तरफ की प्रतिवादी संख्या 1 इन्दरसिंह के हिस्से पाति में आई हुई है, जिसको इन्दरसिंह ने अपने पुत्रों प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम करवा दिया है।जिन पर उनका ही कब्जा काश्त है जिसको प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अपने नाम विभाजन करवाने के अधिकारी है। यह है कि खसरा नम्बर 190 की 1.92 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 159 की 0.75 हैक्टेयर भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 इन्दरसिंह के हिस्सा में मौखिक विभाजन अनुसार आई हुई है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 इन्दरसहि का ही कब्जा काश्त है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 इन्दरसिंह अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है। यह है कि खसरा नम्बर 2020 तादादी 7.50 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शानुसार प्रतिवादी संख्या 5 डूंगरसिंह के हिस्सा में मौखिक विभाजन अनुसार आई हुई है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 डूंगरसिंह का ही कब्जा काश्त है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में डूंगरसिंह अपने नाम खातेदारी घोषित करवाकर अपना हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह है कि खसरा नम्बर 178 की 6.03 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 2020 की 1.47 हैक्टेयर भूमि संलग्न नक्शानुसार प्रतिवादी संख्या 3 भगवानसिंह के हिस्सा में आई हुई है, जिस पर भगवानसिंह का ही कब्जा काश्त है, इसी अनुसार भगवानसिंह अपने नाम खातेदारी घोषित करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। यह है कि खसरा नम्बर 510 पुराना, नया खसरा नम्बर 511 तादादी 4.91 हैक्टेयर खसरा नम्बर 509 तादादी 2.42 हैक्टेयर संलग्न नक्शानुसार प्रतिवादी संख्या 2 नारा[illegible] आई हुई है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह का ही कब्जा का[illegible] है, इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह खातेदारी घोषित करवाकर अपना [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह है कि [illegible] प्रतिवादीगण दावा की मद संख्या 5 व 12 में वर्णितानुसार मौखिक विभाजन अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है और इसी अनुसार अपने अपने हिस्सा का व खातेदारी की घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested

Divya

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करवाने के अधिकारी है। जिसके लिये यह दावा पेश किया जा रहा है। यह है कि पक्षकारान संलग्न नक्शानुसार वादगत खसरान भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है। संलग्न नक्शानुसार ही पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाने हेतु दावा पेश किया जा रहा है। यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को सहमति से मौखिक विभाजन अनुसा जीन का विभाजन करवाने व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार जिन–जिन के हिस्सा में जो–जो भूमि आई हुई है, इसी अनुसार नाम करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण आज–कल आज–कल कहकर टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 16.07.2021 को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने व सहमति से खातेदारी का आदान–प्रदान करने से इन्कार कर दिया, यही दावा का हेतु है। वादगत खेत वादीगण की पैतृक कृषि भूमि होने से वादाधार हासिल है। यह है कि स्टेट की तरफ से तहसीलदार लैण्ड लोर्ड होता है। जो दावा में आवश्यक पक्षकार है। दावा घोषणात्मक व विभाजन अनुतोष का है। हस्तगत दावा में स्टेट के हितो पर किसी प्रकार का विपरित असर नहीं पड़ रहा है। प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज भूमि जिनमें से कुछ भूमि वादीगण के हिस्सा में आई हुई है, बेच सकते हैख इसलिये दावा आवश्यक प्रकृति का है, इसलिये स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी के तहत दो माह के नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है। यह है कि दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। यह है कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण निम्नानुसार सादर डिक्री फरमाया जावे।

(क) कि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार वादगत भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन वादीगण व गौण प्रतिवादीगण तथा शेष प्रतिवादीगण का किया जावे तद्नुसार नक्शा एक्स से तरमीम की जावे तथा अलग लगान कायम किया जावें।

(ख) कि खसरा नम्बर 160 की 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 की 2.63हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम घोषित की जावे, खसरा नम्बर 160 की 4.83 हैक्टेय मय 0.17 हैक्टेयर रास्ता की भूमि तथा खसरा नम्बर 179 की 2.03 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 178 की 0.81 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम घोषित की जावे तथा खसरा नम्बर 202 की 7.50 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 5 डूंगरगसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 178 की 6.03 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 202 की 1.47 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 भगवानसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 160 की 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 की 0.75 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 160 की 1.39 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 159 की 1.28 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 हनुमानसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 511 की 4.91 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 509 की 2.42 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह के नाम खातेदारी घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 9 को दिया जावे। कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष हितकर वादी हो या दौरान दावा हितकर [illegible] जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:22 IST
Reason: Self Attested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible]वादीगणों का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible]ता 12 की ओर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय इकबालिया राजी[illegible] पेश किया गया। संक्षेप

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में वादी एवं प्रतिवादीगणो को राजीनामें अनुसार वाद स्वीकार करने में आपति नही होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम पुन्दलसर के खेत खसरा नम्बर 160 की 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 की 2.63हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम, खसरा नम्बर 160 की 4.83 हैक्टेय मय 0.17 हैक्टेयर रास्ता की भूमि तथा खसरा नम्बर 179 की 2.03 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 178 की 0.81 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम तथा खसरा नम्बर 202 की 7.50 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 5 डूंगरगसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 178 की 6.03 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 202 की 1.47 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 भगवानसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 160 की 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 की 0.75 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 160 की 1.39 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 159 की 1.28 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 हनुमानसिंह के नाम तथा खसरा नम्बर 511 की 4.91 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 509 की 2.42 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगणों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए अंकन करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.1.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested